मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्र./एफ 27–10/2012/20–2 भोपाल, दिनांक 28.3.2012

प्रति,

1. आयुक्त,
राज्य शिक्षा केन्द्र,
म0प्र0 भोपाल

2. आयुक्त,
लोक शिक्षण,
म0प्र0 भोपाल

3. आयुक्त,
आदिवासी विकास,
म0प्र0 भोपाल

विषयः– शिक्षक प्रोत्साहन योजना।
संदर्भः– म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र0 F–27–83/2009/बीस–2 दिनांक 26.12.09

सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिक्षक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है। स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा अनुसार राज्य शासन, एतद् द्वारा योजनांतर्गत विषयांकित के संबंध में संदर्भित पत्र से जारी स्वीकृति निरस्त करते हुए निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता है–

1. माध्यमिक स्तर पर –

(i) कक्षा 6 से 8 में न्यूनतम 10 या अधिक बच्चों की कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय में 80% या अधिक बच्चे प्रथम श्रेणी में (ग्रेड ए या ग्रेड बी) उत्तीर्ण होने पर संबंधित शिक्षक को प्रोत्साहन राशि रुपये 6000/– एवं (ii) 60% से 80% के बीच बच्चे प्रथम श्रेणी (ग्रेड ए या ग्रेड बी) में उत्तीर्ण होने पर संबंधित शिक्षक को प्रोत्साहन राशि रुपये 3000/– दी जाएगी।

2. हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर पर –

अ. शिक्षक द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय की कक्षा 9 से 12 तक की प्रत्येक कक्षा में कम से कम 20 विद्यार्थी अध्ययनरत होकर परीक्षा में शामिल होना आवश्यक होगा।

ब. सामान्य शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं का परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत या उससे अधिक तथा कक्षा 10 वीं में 80 प्रतिशत या अधिक छात्र प्रथम श्रेणी में ~~उत्तीर्ण होने तथा उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 9 वीं का परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत या उससे~~ अधिक तथा कक्षा 10 वीं में 90 प्रतिशत या अधिक छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि रुपये 8000/– दी जाएगी।

स. सामान्य शासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कक्षा 11 वीं का परीक्षा परिणाम 70 प्रतिशत या उससे अधिक तथा कक्षा 12 वीं में 80 प्रतिशत या अधिक छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11 वीं का परीक्षा परिणाम 70 प्रतिशत या उससे अधिक तथा कक्षा

12 वीं में 90 प्रतिशत या अधिक छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि रुपये 10,000/– दी जाएगी।

3. शिक्षक प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन कक्षा 6 से 8 तक आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा तथा कक्षा 9 से 12 तक आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा किया जायेगा।

4. उक्त योजना का प्रावधान सामान्य मद में किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 28.3.2012

पृ.क्र./एफ 27–10/2012/20–2

प्रतिलिपि –

1. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्री जी, म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग (म.प्र.)
2. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मान. राज्य मंत्री जी, म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग (म.प्र.)
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. सचिव, म. प्र. शासन, वित्त विभाग।
5. संभागायुक्त, समस्त संभाग (म.प्र.)।
6. कलेक्टर, समस्त जिले (म.प्र.)।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले (म.प्र.)
8. संयुक्त संचालक, समस्त संभाग (म.प्र.)।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले (म.प्र.)
10. सहायक आयुक्त (आदि. विकास), समस्त जिले (म.प्र.)
11. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले (म.प्र.)
12. फोल्डर प्रति।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग